

## स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त,  
गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,  
उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४८, शान्तिपथ, तिलकनगर,  
जयपुर-३०२००४ (राजस्थान)।

पत्रांक :

/सत्ताईस-२२(२०१०-११)

दिनांक: 16 नवम्बर, 2011

विषय :

निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु  
एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत  
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु  
एन०सी०टी०ई० से मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-  
1085 / 15-11-2011 दिनांक 27-06-2011 के क्रम में गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक  
05.11.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में एस०आर०डिग्री कालेज, बांसपार, गजपुर, गोरखपुर को  
बी०टी०सी० / एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है -

1. संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित अधिनियम तथा राज्य  
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नीति/नियम/आदेश का अनुपालन संस्थानों  
के लिए बाध्यकारी होगा।
2. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन के सम्बन्धित उपायों  
को संस्थान द्वारा सदैव सुनिश्चित किया जायेगा। जनहित याचिका संख्या- 483 / 2004  
अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय  
के आदेश दिनांक 13-04-2009 के अनुपालन में संस्थान द्वारा राज्य सरकार से सम्बद्धता  
प्राप्त होने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड  
में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र रथापित हो चुका है  
तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।
3. संस्थान भविष्य में राज्य सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की माँग नहीं करेगा।
4. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का आशय यह कदापि न समझा जाये कि संस्थान को  
बी०टी०सी० / एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता स्वतः प्राप्त हो गयी है। सम्बद्धता

के संदर्भ में संस्थान को एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित नीति / प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्थान के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक अथवा शिथिलता बरती जा रही है या तथ्य गोपन करके अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया गया है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

( के० रवीन्द्र नायक )

आयुक्त

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक : ७५५ /सत्ताईस-२२(२०१०-११) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, विंग-II, १ बहादुर शाह जफर मार्ग, नियर आई०टी०ओ०, नई दिल्ली ११०००२
२. सचिव, वेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
३. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
४. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
५. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
६. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर।
७. प्रबन्धक, एस०आर०डिग्री कालेज, बांसपार, गजपुर, गोरखपुर।

( के० रवीन्द्र नायक )

आयुक्त

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।